<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

संसद का बजट सत्र, 2017 मंगलवार, 31 जनवरी, 2017 से आरंभ हुआ था और सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए आज अर्थात् बुधवार, 12 अप्रैल, 2017 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस बीच दोनों सदनों को गुरूवार, 9 मार्च, 2017 को पुन: एकत्र होने के लिए गुरूवार, 9 फरवरी, 2017 को 27 दिन की मध्यावकाश अवधि के लिए स्थगित भी कर दिया गया था ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की जांच कर सकें।

2. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान लोक सभा की कुल 7 बैठकें और राज्य सभा की 8 बैठकें हुई। सत्र के दूसरे भाग में लोक सभा की 22 बैठकें और राज्य सभा की 21 बैठकें हुई। पूरे बजट सत्र, 2017 के दौरान लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक की कुल 29 बैठकें हुई।

3. यह वर्ष का प्रथम सत्र होने के कारण, 31 जनवरी, 2017 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. महेश शर्मा द्वारा प्रस्तावित और श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा अनुमोदित किया गया। राज्य सभा में इसे श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तावित और डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा अनुमोदित किया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों द्वारा धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उसे स्वीकृत किया गया।

4. यह सत्र, बजट सत्र होने के कारण मुख्यत: वित्तीय कार्यों के निष्पादन के लिए समर्पित था। सत्र के पहले भाग के दौरान, बुधवार, 1 फरवरी, 2017 को वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। इस बार रेल बजट को भी सामान्य बजट के साथ आमेलित कर दिया। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की गई।

5. सत्र के दूसरे भाग के दौरान, संबंधित स्थायी समितियों द्वारा प्रतिवेदनों की जांच और प्रस्तुतिकरण के बाद लोक सभा द्वारा (i) रेल; (ii) गृह; (iii) रक्षा; तथा (iv) कृषि मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा और मतदान किया गया। शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगें जिन पर चर्चा नहीं हो सकी सदन के मत के लिए रखी गई तथा **सोमवार, 20 मार्च, 2017** को सभी पर मतदान किया गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया तथा बाद में राज्य सभा द्वारा लौटाया गया। गए। अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक भी उसी दिन पारित किया गया तथा बाद में राज्य सभा द्वारा लौटाया गया। लोक सभा द्वारा 22.03.2017 को वित्त विधेयक, 2017 पारित किया गया तथा राज्य सभा ने 29.03.2017 को सिफारिशों सहित इसे लौटा दिया। लोक सभा ने दिनांक 30.03.2017 को विधेयक में राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। वित्त विधेयक को 31 मार्च, 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी।

6. "रेल संबंधी वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों और वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर लोक सभा द्वारा संबंधित विनियोग विधेयकों के साथ ही मतदान भी किया गया जिन्हें बाद में राज्य सभा द्वारा लौटाया गया था।"

7. इस अवधि के दौरान, केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा के समाप्त होने के अतिरिक्त, राज्य सभा ने रेल मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा की। इस प्रकार 31 मार्च, 2017 से पहले पूरे वित्तीय कार्यों का निपटान कर दिया गया था।

8. इस सत्र की मुख्य विशेषता है पूरे देश में 1 जुलाई, 2017 से माल और सेवा कर के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए चार ऐतिहासिक विधेयकों, अर्थात् केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017, समेकित माल और सेवा कर विधेयक, 2017, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017 तथा संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को पारित करना।

9. इस सत्र के दौरान 24 विधेयक (लोक सभा में 24) पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 23 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 14 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 18 विधेयक पारित किए गए। लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तथा वापिस लिए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है ।

10. इस सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा सामाजिक क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों जैसे मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017, प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2017, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2017, कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2017 को भी पारित किया गया। शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 भी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।

11. **लोक सभा** में नियम 193 के अधीन सतत विकास लक्ष्य पर एक अल्पावधि चर्चा हुई और अधूरी रही। **राज्य सभा** में, नियम 176 के अधीन (i) चुनाव सुधार और (ii) आधार - इसका कार्यान्वयन और प्रभाव पर दो अल्पावधि चर्चाएं हुईं। राज्य सभा में विशेष श्रेणी दर्जे की अवधारणा को बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाने की जरूरत पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हुआ।

12. भारत के विधायी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के सभी वित्तीय कार्यों को सामान्य चर्चा, की उचित प्रकिया, स्थायी समितियों द्वारा संवीक्षा, कुछ अलग-अलग मंत्रालयों पर चर्चा आदि का पालन करते हुए 31 मार्च तक अगला वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पहले ही पूरा कर लिया गया और वह भी बिना किसी शार्टकट तरीके से। अतीत में जब भी 31 मार्च से पहले वित्तीय कार्यों को पूरा किया गया था, वे या तो चुनाव वर्ष थे जिसमें अंतरिम बजट होता था अथवा संसदीय समितियों द्वारा अन्य मामलों में जांच को छोड़ दिया जाता था। यह एक बड़ा वित्तीय सुधार है ताकि प्रशासनिक मंत्रालयों को उनकी विकास परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पूर्ण धन उपलब्ध कराया जा सके।

13. लोक सभा की उत्पादिता 113.27% व राज्य सभा की उत्पादिता 92.43% रही। लगभग 8 घंटे का समय लोक सभा में व्यवधान के कारण नष्ट हुआ जिसकी भरपाई लगभग 19 घंटे देर तक बैठकर की गई। राज्य सभा में व्यवधान के कारण 18 घंटे का समय नष्ट हुआ और लगभग 7 घंटे देर तक बैठकर उसकी भरपाई की गई।

*****

अनुबंध

16वीं लोक सभा के 11वें सत्र और राज्य सभा के 242वें सत्र (बजट सत्र, 2017) के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I-लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2017
2. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
3. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) विधेयक, 2017
4. भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017
5. निरसन और संशोधन विधेयक, 2017
6. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017
7. फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017
8. अंतर्राज्जीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017
9. सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017
10. विनियोग (रेल) विधेयक, 2017
11. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2017
12. विनियोग विधेयक, 2017
13. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017
14. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017
15. केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017
16. समेकित माल और सेवा कर विधेयक, 2017
17. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017
18. संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017
19. कराधान (संशोधन) विधेयक, 2017
20. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017
21. संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017
22. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017
23. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017
24. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

II-लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
2. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) विधेयक, 2017
3. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2017
4. नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2017

5. विनियोग (रेल) विधेयक, 2017
6. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2017
7. विनियोग विधेयक, 2017
8. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017
9. वित्त विधेयक, 2017
10. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017
11. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2017
12. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017
13. केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017
14. समेकित माल और सेवा कर विधेयक, 2017
15. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017
16. संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017
17. फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017
18. कराधान (संशोधन) विधेयक, 2017
19. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017
20. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017
21. संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017
22. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014
23. सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017

III-राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
2. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017
3. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014
4. कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन), 2017
5. विनियोग विधेयक, 2017
6. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017
7. वित्त विधेयक, 2017
8. विनियोग (रेल) विधेयक, 2017
9. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2017
10. केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017
11. समेकित माल और सेवा कर विधेयक, 2017
12. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017
13. संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017
14. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017

IV-संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
2. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) विधेयक, 2017
3. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017
4. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2017
5. विनियोग विधेयक, 2017
6. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017
7. वित्त विधेयक, 2017
8. विनियोग (रेल) विधेयक, 2017
9. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2017
10. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2017
11. कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन), 2017
12. केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017
13. समेकित माल और सेवा कर विधेयक, 2017
14. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017
15. संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017
16. #कराधान (संशोधन) विधेयक, 2017
17. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017
18. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017

#दिनांक 20.4.2017 को संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विधेयक की प्राप्ति से 14 दिवस बीत जाने के पश्चात संसद के सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा।

V-वापिस लिए गए विधेयक

1. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016 (लोक सभा में)
2. नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (राज्य सभा में)
3. अधीकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2014